राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1341/2023
संदीप शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये मुख्य सचिव, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अति. मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
4. उप सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), राजस्थान सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 07.02.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने निलंबन आदेश दिनांक 30.11.2022 को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा अपीलार्थी जो कि पूर्व में मुख्य अभियंता पी.एम.सी., आर.आर.डब्ल्यू.एस. एण्ड एफ.एम.पी., नागौर में कार्यरत था, को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), 1958 के नियम–13 के तहत निलम्बित किया गया था। इस अपील में अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 04.05.2023 के द्वारा अपीलार्थी के निलम्बन के आदेश दिनांक 30.11.2022 की कियान्विति स्थगित रखे जाने के आदेश पारित किये गये थे। वर्तमान में प्रत्यर्थी विभाग की ओर से आदेश दिनांक 05.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी को नये सिरे से पदस्थापित किया गया है एवं अपीलार्थी का पदस्थापन मुख्य अभियंता (तक.) एवं पदेन तकनीकी सदस्य, आर.डब्ल्यू.एस.एस.एम.बी. जयपुर किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 05.02.2024 की पालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण भी कर लिया है। उपरोक्त तथ्यों से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को पुनः सेवा में बहाल कर लिया है। ऐसे में निलम्बन किये जाने का आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो चुका है।
2. चूंकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को पुनः सेवा में बहाल किया जा चुका है। ऐसे में यह अपील निष्फल हो जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)